



प्रेस विज्ञप्ति

07/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय ने मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चल रही जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 06.02.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत 6 अचल संपत्तियों, 73 बैंक खातों में बैंक बैलेंस और 26 लक्जरी वाहनों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 178.12 करोड़ रुपये (लगभग) है।

ईडी ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा बीएनएस, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर निदेशालय द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी।

ईडी ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बीएनएस, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर निदेशालय द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी। ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (मेसर्स वीएमएसएल) ने अन्य समूह संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके विभिन्न निवेशकों को क्लाइड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस पट्टे पर देने (एसएलबी मॉडल) की आड़ में उनका पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया, उच्च किराये के रिटर्न का वादा किया, इसके लिए उनके पास कोई पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था। आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए किया गया और मेसर्स वीएमएसएल और समूह की कंपनियों द्वारा विभिन्न शानदार वाहनों की खरीद, फर्जी संस्थाओं के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि को रूट करने और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे डायवर्ट किया गया। यह उल्लेखनीय है कि व्यूनाउ समूह के प्रमुख व्यक्तियों हालांकि, आज तक सुखविंदर सिंह खरौर सहित उनमें से कोई भी जांच में शामिल नहीं हुआ है और यहां तक कि अपने हजारों निवेशकों को भी मझधार में छोड़ दिया है।

इससे पहले, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26.11.2024 और 17.01.2025 को मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी।

आगे की जांच जारी है।









